5 रु COURT FEE भारत दस रुपये TEN Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

30

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3599-II/14

अम्बाराम पिता श्री थावरजी गारी, उम्र 54 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी–ग्राम पंथपिपलई तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)

----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कमलसिंह पिता श्री अंतरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी–ग्राम पंथपिपलई तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)

-----अनावेदक

21-10-14

21-10-14

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. के निगरानी आवेदन पत्र

अधीनस्थ अधिकारी अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/निगरानी/2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 01–09–2014 से असन्तुष्ट व दुःखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि, प्रतिप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के **समक्ष** एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.सं. तथा इसी के साथ में धारा **32** का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी द्वारा उचित समयावधि में जवाब प्रस्तुत किया गया।

02. यह कि, प्रतिप्रार्थी के उक्त प्रकरण में प्रार्थी को स्थल निरीक्षण के समय दिनांक 24–03–2009 की प्रोसेडिंग के समय अधीनस्थ न्यायालय ने

XXIX(a)-BR(H)-11

(304)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3599-दो/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	